

जाता है
प्रस्ताव नहीं करने पर निवेदन
करवाये भी जायेगी।
पुनः प्रस्ताव 11/2/20 को
सेवा है ९

1.1/2/20 प्राप्ति का प्रस्ताव वकील प्रतियादी द्वारा राश
विलंबि आक्षेप। उपस्थित अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य
क्या कि पूर्व में 500/- की कोर्ट पर लेखित प्रमाण दिख
गया था लेकिन जवाब पत्र नहीं दिया गया। आज
हुनः वकील अधिवक्ता या वकील पक्ष उपाक्षित नहीं हैं
तीस बार को-2 के आवाज को कोई गरीब प्रतियादी
पक्ष उपस्थित नहीं होने से बाद प्रथम पत्रवी में
आदि दिया जाता है। प्राप्ति फलतः दुःख
होकर नबल के कर्म है। ९

